

महावीर शाही - इलाहाबाद जिला नं. 92/14

क

आज्ञा पत्र

20-2-18

समाप्त प्रत्युत्पन्न अपीलाट / रिपॉर्ट उपस्थित  
पीठ के अधिकारी महोदय काज. 5-6-2018  
पर है। अतः पत्रावली पूर्ण आशुनुसार दिनांक 23-4-18  
को पत्र हो के

23-4-18

बार-बार कलिया दिवाई गई।  
कंपालाट एवं कंपालाट के वकील  
कोई हाजिर नहीं किये। कतः  
कदम हाजरी एवं कदम पैरवी  
साक्षित होने से कंपालाट वकील  
की जाती है।  
पत्रावली काद तरताव तक को  
दौरविल दफ्तर है। जयते  
निर्णय सुनाया गया।



मु. प्रबन्ध अधिकारी का  
पदेन राजेश अपील अधिकारी  
साबर

Web Copy - Not Official